

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी बिचपुरी आगरा।

पत्रांक / 958-59

/ 2023-24 /

दिनांक:- 05-3-2024

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,

बोस्टन पब्लिक स्कूल,

दहतरा, आगरा।

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु कक्षा-1/ पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) महोदय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक आर0टी0ई0/ न0प्र0/02/2023-24/11563/ दिनांक 18 दिसम्बर 2023 व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आगरा के पत्रांक 11853-60/2023-24 दिनांक 05 मार्च 2024 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु दिनांक 26.02.2024 को निकाली गयी लॉटरी के माध्यम से अर्ह छात्र/छात्राओं की प्रवेश हेतु सूची में निम्नवत् छात्र/छात्राओं का चयन प्रवेश हेतु आपके विद्यालय में हुआ है।

क्र0स0	पंजीकरण संख्या	बच्चे का नाम
	177445	CHESHTA VERMA
2.	224899	KHUSHI
3.	127276	TEJAS YADAV
4.	43485	MISHA PRAJAPATI
5.	185773	HIMANSHI
6.	150899	GUNJAN
7.	195716	SRISHTI

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र में अंकित छात्र/छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन करते हुए पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर संबंधित छात्र/छात्राओं को नियमानुसार निःशुल्क प्रवेश कराते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कि शासन की उक्त महत्वपूर्ण योजनाओं में दिये गये दिशा-निर्देशों की किसी भी स्थिति में सम्बन्धित विद्यालय प्रबंधन शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की विभिन्न धाराओं व उपनियमों में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत मान्यता प्रत्याहरण सहित अन्य विभागीय कार्यवाही हेतु दोषी होगा। तदनुसार अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी।

Akylu
खण्ड शिक्षा अधिकारी
बिचपुरी, आगरा।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा।

खण्ड शिक्षा अधिकारी
बिचपुरी, आगरा।